कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर–492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध–2/115–882–A/1279 रायपुर, दिनांक 26/05/2023

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
कांकेर वन मंडल, कांकेर
छत्तीसगढ़

विषयः– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Degital Private Ltd. Raipur Laying of Optical Fibre Cable (OFC) line in along with RoW (Round Corridor) Kanker Division under Chhattisgarh Sanchar Kranti Yojna (SKY), Area 2.119 ha.**

– **पंजीयन कमांक – FP/CG/OFC/87496/2020**

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त, कांकेर का पत्र कमांक /मा.चि/2023/1568 दिनांक 10.05.2023

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से कांकेर जिले के कांकेर वन मंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत महाप्रबंधक, जियो डिजिटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा रकबा 2.119 हे. वन भूमि में OFC लाईन बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

उक्त प्रस्ताव का नोडल कार्यालय में परीक्षण उपरांत त्रुटियां पाई गई है जो निम्नानुसार हैः–

ऑनलाईन त्रुटियांः–

1. Form A Part-II point No. 15 में अपलोड प्रपत्र–3 के बिन्दु क्रमांक 6 से 12 में स्पष्ट अभिमत नहीं दिया गया है। सुधार कर पुनः अपलोड करे।
2. Form A Part-II point No. 16 में अपलोड भाग–2 के बिन्दु क्रमांक 10 (iv) में प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय राशि रू. 510 लाख का लेख किया गया है। बिन्दु क्रमांक 10 (i, ii, iii and v) निरंक लेख किया गया है स्थिति स्पष्ट करे। सुधार उपरांत पुनः जानकारी अपलोड करे।

ऑफलाईन त्रुटियां :–

1. प्रस्ताव के कंडिका क्रमांक 3 वन क्षेत्र का विवरण के पृष्ठ क्र. 13 से 16 में परिक्षेत्र का नाम, कक्ष क्रमांक एवं रकबा दिया गया है तथा परिक्षेत्रवार योग किया गया है किन्तु आरक्षित वन भूमि, संरक्षित वन भूमि, नारंगी क्षेत्र, राजस्व वन भूमि का पृथक–पृथक योग नहीं किया गया है।

   प्रस्ताव में आवेदित वन भूमि के विवरण को छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ–5–05/2022/10–2 दिनांक 29.03.2022 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न करे (छायाप्रति संलग्न)।
2. प्रस्ताव के कंडिका क्रमांक 8 पृ.क्र. 43 प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप में केवल आवेदक संस्थान द्वारा हस्ताक्षर किया गया है जिसमें वन मंडलाधिकारी का हस्ताक्षर भी आवश्यक है। वन मंडलाधिकारी का हस्ताक्षर कराया जावे।
3. प्रस्ताव के कंडिका क्रमांक 10 के पृ.क्र. 45 में निरंक लेख किया गया है जो मान्य योग्य नहीं है। संक्षिप्त टीप दिया जावे।
4. प्रपत्र–3 : वन संरक्षक एवं वन मंडलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ प्रस्ताव में आवेदित वन भूमि के विवरण को छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ–5–05/2022/10–2 दिनांक 29.03.2022 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न करे।

   प्रपत्र–3 के बिन्दु क्रमांक 6 से 12 में स्पष्ट अभिमत नहीं दिया गया है। स्पष्ट अभिमत दिया जावे।
5. Form A Part-II संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है के बिन्दु क्रमांक 10 (iv) में प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय राशि रू. 510 लाख का लेख किया गया है। बिन्दु क्रमांक 10 (i, ii, iii and v) निरंक लेख किया गया है स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रस्ताव में समाहित करे।

6. कंडिका क्रमांक 13 संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र में (पेज क्रमांक – से – तक) लेख किया गया है पृ.क्र. अंकित नहीं किया गया है। अंकित किया जावे।

अतः संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव मूलतः वापिस किया जाता है। उपरोक्तानुसार ऑनलाईन एवं ऑफलाईन कमियों की पूर्ति कर संशोधित प्रस्ताव प्रेषित करे।

संलग्न :– प्रस्ताव मूलतः 03 प्रतियों में

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र0/भू–प्रबंध/ विविध–2/115–882–A/ 1280 रायपुर, दिनांक 26/05/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
2. **महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)** जियो डिज़ीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर (छ.ग.)।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ.क्र./मा.चि./4495 कांकेर दिनांक 5/6/23

प्रतिलिपि : वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल कांकेर की ओर पत्र की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। पत्र में दिये गये निर्देशानुसार प्रकरण में पाई गयी ऑनलाईन एवं ऑफलाईन कमियों की पूर्ती कर संशोधित प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करें।

for मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ--5-05/2022/10-2 नवा रायपुर, दिनांक /03/2022

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख
छ.ग. अरण्य भवन,
सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act 1980 proposed for Jio Fiber Pvt. Ltd. Raipur laying Optical Fiber Line in Rajnandgaon forest Division under Chhattisgarh State, area 2.963 ha.

संदर्भः- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध-1ए/115-890ए/372, दिनांक 25.02.2022 ।

---00---

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । विषयांकित प्रस्ताव के परीक्षण में निम्न बिंदुओं पर त्रुटियां परिलक्षित हो रही है :-

1. प्रस्ताव में आवेदित वन भूमि के विवरण में 1.33 हे. आरक्षित वन भूमि तथा 1.548 हे. संरक्षित वन भूमि लेख है जबकि विचाराधीन पत्र के बिंदु क्रमांक 1 में 1.33 हे. तथा 1.548 हे. दोनो को आरक्षित वन भूमि दर्शाया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।
2. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 10 में आवेदित वन क्षेत्र का विवरण दिया गया है इसमें बहुत से वन कक्ष वन विकास निगम क्षेत्र अंतर्गत आवेदित दर्शाये गये है। कृपया वन विकास निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
3. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 31 से 38 में संधारित Form IV में आवेदक संस्थान द्वारा हस्ताक्षर किये गये है जबकि Form IV संबंधित वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रदाय किया जाना होता है। कृपया Form IV में वनमंडलाधिकारी से हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
4. प्रस्ताव में आवेदित वन भूमि के विवरण को निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत करें :-

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र./खसरा	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)

2/- अतः निवेदन है कि, कृपया उपरोक्त बिंदुओं पर उल्लेखित त्रुटियों के अनुरूप संशोधित पत्राचार/जानकारी प्रेषित करने का कष्ट करें, जिसके उपरांत प्रकरण में आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक एफ-5-05/2022/10-2 नवा रायपुर, दिनांक 29/03/2022

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
2. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
3. वनमंडलाधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।
4. महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स), जियो डिजिटल फायबर केबल प्रायवेट लिमिटेड, चतुर्थ तल, अंबुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

विविध- A

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
नवा रायपुर
आवक क्र 772
दिनांक 30/03/2022